न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या जालोर 124 / 2010

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2010 / 00029

वादी

वीराराम पुत्र लखा, जाति–
ब्राह्माण, निवासी–भड़वल
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर

प्रतिवादीगण

1 मृतवफी रामजी पुत्र लखा, जाति–
ब्राह्माण, निवासी–भड़वल हाल,
भाटकी, तहसील–सांचौर,
जिला जालोर के कायम मुकाम व वारिसान्
अ–उकाराम पुत्र रामजी
ब–कालाराम पुत्र रामजी
स–पोपटराम पुत्र रामजी फौत के कायम
मुकाम वारिसान् (अ, ब)
जातियान–ब्राह्माण, निवासी–
भड़वल हाल भाटकी तहसील–
सांचौर, जिला–जालोर
2 मु0 बादलीदेवी धर्म पत्नी मनरूपाजी
जाति–ब्राह्माण, निवासी–भड़वल,
तहसील–सांचौर, जिला–जालोर
3 मृतवफी तेजा वल्द मुकना, कौम–
ब्राह्माण, निवासी–भड़वल के कायम
मुकाम व वारिसदारान्
अ–वीराराम पुत्र तेजा
ब–गंगाराम पुत्र तेजा
स–अमृतलाल पुत्र तेजा
द–मु0 बादली बैवा तेजा
कौम–ब्राह्माण, साकिन–भड़वल
हाल वाड़ीरोड़ के पास डीसा,
जिला–बनासकांठा, गुजरात
4 सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर

दावा बाबत् खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजू :– 11.08.2010

उपस्थिति :–

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

1. वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भगवती प्रसाद बालोत उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 2, 3 (अ, ब, स, द) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लाधुसिंह किलवा उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 1 (अ, ब) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश हेमागुड़ा उपस्थित।
4. प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से राज पैरोकार सांचौर उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 1/12/2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता लखा जो मूल भड़वल गांव के वाशीन्दा थे। मेरे पिता लखा पुत्र चतरा, कौम ब्राह्माण के प्रथम सेटलमेंट में तीन गांव क्रमशः भाटकी, बालेरा एवं भड़वल आधोचार था। इस कारण तीन गांवों की सरहद में हमारे पैतृक संपति के खेत आए हुए है। ग्राम भाटकी में पुराना खसरा संख्या 179 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा ग्राम बालेरा में पुराना खसरा संख्या 245 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 154 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 159 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा जिसमे मेरे पिता लखा का 1/2 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 के दादा मुकना का था एवं है। वांके सरहद भड़वल मे पुराना खेत खसरा संख्या 270 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा पूरा का पूरा पिता लखा का तथा खेत खसरा संख्या 247 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा में मुझ वादी के पिता लखा का 1/4 हिस्सा शुरू से चला आ रहा है। जिसकी बिघोड़ी पूर्व में पिता लखा एवं अब हम उनके उतराधिकारीगण अदा करते आ रहे है। गिरदावरी भी हमारे नाम से होती आ रही है। पिता लखा के हम तीन पुत्रगण रामजी, गमना एवं मैं वादी वीरा है जिसमें गमना नाऔलाद फौत हुआ रामजी भी फौत हो चुका है। रामजी के उतराधिकारीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 'अ' से 1 'स' है। गमना नाऔलाद फौत हो जाने के कारण अब उक्त तीनों ग्रामों में पिता लखा की पैतृक संपति में रामजी के पुत्रगण का 1/2 हिस्सा एवं मुझ वादी वीरा का 1/2 हिस्सा जागीरी के समय से प्रेडीसेसर के रूप में चला आ रहा है। ग्राम बालेरा के पुराने खेत खसरा संख्या से नवीन खसरा संख्या 482 रकबा 1.16 हैक्टेयर, खसर संख्या 545 रकबा 0.62 हैक्टैयर तेजा वल्द मुकना 1/2 हिस्सा, रामा उर्फ रामजी वल्द लखा का 1/2 हिस्सा इन्द्राज हुआ है। वांके सरहद भाटकी के खसरा संख्या 1590 रकबा 0.79 हैक्टेयर भाई गमना के नाम दर्ज हुआ है एवं ग्राम भड़वल के खसरा संख्या 604 रकबा 2.08 हैक्टेयर भाई रामजी, गुमना, पिसरान लखा इन्द्राज हुआ है एवं खसरा संख्या 642 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा संख्या 643 रकबा 0.58 हैक्टैयर जुमले रकबा 1.16 हैक्टेयर जिमसें भाई रामजी के नाम 1/2 हिस्सा एवं 1/2 हिस्सा रणछोड़ा के नाम दर्ज हुआ है। भाई गुमना नाऔलाद फौत हो जाने के कारण ग्राम बालेरा की आराजी में मुझ वादी का 1/4 हिस्सा तथा भाई रामा उर्फ रामजी के उतराधिकारीगण का 1/4 हिस्सा, ग्राम भाटकी की आराजी में गमना के स्थान पर खसरा संख्या 1590 रकबा 0.79 हैक्टेयर में मुझ वादी का 1/2 हिस्सा एवं भाई रामजी के उतराधिकारीगण प्रतिवादी संख्या 1 'अ' लगायत 1'स' का 1/2 हिस्सा तथा ग्राम भड़वल में खसरा संख्या 604 रकबा 2.08 हैक्टेयर में भाई गुमना

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

नाऔलाद फौत हो जाने के कारण 1/2 हिस्सा मुझ वादी का एवं भाई रामजी के उतराधिकारीगण 1 'अ' लगायत 1'स' का 1/2 हिस्सा तथा खसरा संख्या 642, 643 रकबा क्रमशः 0.58, 058 हैक्टेयर में मुझ वादी का 1/4 हिस्सा एवं 1/4 हिस्सा भाई रामजी के उतराधिकारीगण 1 'अ' लगायत 1'स' का कानूनी तौर से बनता है एवं मौके पर हम इस अनुसार काबिज है तथा इस अनुसार बिघोड़ी भी अदा करते आ रहे है। भाई रामजी एवं गमना के जीवनकला में मुझ वादी ने कई बार मेरा नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु कहा किन्तु भाई पर विश्वास होने के कारण पूर्व में कोई वाद पेश नहीं किया। भाई रामजी की फौतेदगी के बाद रामजी के पुत्रगण प्रतिवादी उकाराम, लालाराम, पोपटराम ने अपने नाम उतराधिकारी का म्यूटेशन भरवा लिया जिसकी मुझ वादी को जानकारी होने पर कहा तो मुझ वादी को कहा कि आप विश्वास रखो समय आने पर तुम्हारे नाम ब्यान कर देगें। इस कारण पूर्व में वाद पेश नहीं किया। वादी अत्यन्त गरीब, अशिक्षित होने के कारण भाईयों पर विश्वास कर बैठा रहा किन्तु अब भाई रामजी के पुत्रगण प्रतिवादी उकाराम, लालाराम, पोपटराम, की नियत में नर्मदा नहर आने से खोट आई है तथा ब्यान करने से आनाकांनी कर रहे है जबकि प्रथम सेटलमेंट चल रहा था, कब्जा काश्त पिता लखा पुत्र चतरा का था। सेटलमेंट के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण से भूमि भूलवंश भाई रामजी, गमना के नाम से दर्ज हो गई जो भूलवश हुई जबकि भूमि पिता लखा के नाम या लखा के तीनों पुत्रगण रामजी, गुमना, वीरा के नाम होनी चाहिए थी। भूमि हमारी पैतृक संपति की है। उक्त भूमि मे मेरा हिस्सा अंश प्राप्त करने का हकदार हूं। आज भी मुझ वादी का मेरे अंश अनुसार लखा की संपति में 1/2 हिस्से पर काश्त काबिज हू एवं 1/2 हिस्से पर भाई रामजी के पुत्रगण काश्त काबिज है। बिनायवाद वांके सरहद बालेरा, भाटकी एवं भड़वल की सरहद में आए खेतों में लखा की संपति के खेतों में 1/2 हिस्से अनुसार वादी काश्त काबिज है। मेरे कब्जे की भूमि वांके सरहद भड़वल में मेरी रहवासीय ढ़ाणी बनी हुई है तथा मय परिवार का रह रहा हूं तथा वांके सरहद बालेरा एवं भाटकी की सरहद की भूमि में भी लखा के संपति के खेतों में 1/2 हिस्सा भाई गुमना के नाऔलाद फौत हो जाने के कारण हकदार हूं किन्तु भूलवश वांके सरहद बालेरा में भाई रामजी उर्फ रामा अकेले का नाम दर्ज हो गया तथा वांके सरहद भाटकी में भाई गमना अकेले का नाम दर्ज हो गया तथा मैं नाबालिग होने के कारण ग्राम भड़वल में भी भूलवश मेरा नाम इन्द्राज नहीं किया गया जो गलती सेटलमेंट अधिकारियों की है। मैंने भाईयों पर एवं रामजी की फौतेदगी के बाद रामजी के पुत्रगणों पर विश्वास कर बैठा रहा किन्तु अब रामजी के पुत्रगणों की नियत मे नहर आने के कारण फर्क आया है। इस कारण दावा हाजा पेश करने की नौबत पैदा हुई है। बिनायवाद मुखास्समात तारीख दावे से है। अन्त में वादी ने इस्तदुआ चाही कि ग्राम भड़वल, बालेरा, भाटकी में वादी के पिता लखा की संपति में वादी का 1/2 हिस्सा होने से खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया।

उक्त वाद दिनांक 11.08.2010 को बाद कार्यालय टिप्पणी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट्रेक) सांचौर

3 के कायम मुकाम वारिसान् (अ, ब, स, द,) तथा प्रतिवादी संख्या 4 को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित में पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, बावजूद इसके इनकी ओर से जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कायम मुकाम वारिसान् अ, उकाराम पुत्र रामजी, ब–कालाराम वल्द रामजी की ओर से जरिये अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान के वाद में हम पक्षकारान् के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है तथा माफिक वादी की इस्तदुआ अनुसार वाद वादी के पक्ष में डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी संख्या 1 (अ,ब) को स्वीकार है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त राजीनामा अनुसार वादी के पक्ष में डिक्री सादिर फरमावें।

उक्त वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 (अ,ब) की ओर से प्रस्तुत राजीनामा को वादी वीराराम व प्रतिवादी उकाराम व कालाराम को पढ़कर सुनाया गया, जिसे पक्षकारान् द्वारा सही मान अंगुष्ठ निशान किये गये। वादी एवं प्रतिवादीगण भी अपने अपने अधिवक्ता द्वारा पहचान की गई, तत्पश्चात प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिशल किया गया।

अधिवक्ता उभयपक्ष को प्रस्तुत राजीनामा पर सुना गया। अधिवक्ता वादी ने निवेदन किया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 (अ,ब) मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है। अतः उक्त पेश राजीनामा अनुसार डिक्री सादिर फरमावें। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि हम वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में चाही गई इस्तदुआ अनुसार वाद स्वीकार करने में हमें कोई ऐतराज या उजर नहीं है अतः वाद वादी स्वीकार फरमावें।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि वक्त प्रथम सेटलमेंट वादी नाबालिग था तथा मौजा भड़वल के पुराना खेत खसरा संख्या 270 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खेत खसरा संख्या 247 रकबा 26 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 642 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा संख्या 643 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा संख्या 604 रकबा 2.08 हैक्टेयर जुमले रकबा 3.24 हैक्टेयर हमारी पैतृक संपति का होने से उक्त आराजी में हमारे स्व. पिता लखा का खसरा संख्या 270 यानि नवीन खसरा संख्या 604 पूरा का पूरा तथा पुराना खसरा संख्या 247 यानि नवीन खेत खसरा संख्या 642 व 343 में 1/4 हिस्सा आया हुआ था किन्तु उस वक्त मैं वादी नाबालिग होने के कारण हमारे स्व. पिता लखा ने उक्त खेत खसरा संख्या 604 रकबा 2.08 हैक्टेयर में वादी के बड़े भाई रामजी व गुमना का नाम खातेदारी दर्ज करवा दी तथा खेत खसरा संख्या 642 व 643 जुमले रकबा 1.16 हैक्टेयर भूमि में हमारे बड़े भाई रामजी का 1/2 हिस्सा दर्ज करवा दी। इसी प्रकार ग्राम बालेरा के पुराना खेत खसरा संख्या 245 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा, खसरा संख्या 154 रकबा 12 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 159 रकबा 07 बीघा 03 बिस्वा जिसके नवीन खेत खसरा संख्या 545 रकबा 0.62

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

हैक्टेयर, खसरा संख्या 482 रकबा 1.16 हैक्टेयर जुमले रकबा 1.78 हैक्टेयर भूमि जिससे हमारे स्व. पिता का 1/2 हिस्सा की खातेदारी भी वादी के भाई प्रतिवादी संख्या 1 (अ,ब,स) के पिता रामजी के नाम दर्ज करवा दी व इसी प्रकार ग्राम भाटकी के पुराना खेत खसरा संख्या 179 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा भूमि भी वादी के स्व. भाई गमना के नाम करवा दी जो वर्तमान खेत खसरा संख्या 1590 रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि है। इस प्रकार वादी उस वक्त नाबालिग था तथा भूमि पैतृक संपति की होने से वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 (अ,ब,स) के पिता रामजी व स्व. गमना पर विश्वास कर लिया इस कारण वादग्रस्त आराजी की खातेदारी वादी के नाम दर्ज नहीं हुई तत्पश्चात वादी के भाई गमना की मृत्यु हो गई जो नाऔलाद फौत होने से स्व. गमना के हिस्से की भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 (अ,ब,स) तथा इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 (अ,ब,स) के नाम दर्ज खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी पाने का हकदार होने से तथा उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा हक व अधिकार होने से प्रतिवादी 1 (अ,ब) ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद जांच न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा दिनांक 19.06.2024 को तस्दीक करने से वादग्रस्त आराजी मौजा भड़वल की आराजी खेत खसरा संख्या 642 व 643 जुमले रकबा 1.16 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी की डिक्री व इसी प्रकार मौजा भड़वल के खेत खसरा संख्या 604 रकबा 2.08 हैक्टेयर में वादी के नाम 1/4 हिस्सा की डिक्री व इसी प्रकार मौजा बालेरा के खेत खसरा संख्या 1055/545 व 482 जुमले रकबा 1.7610 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी की डिक्री व उक्त खसरा नम्बरों में 1/4 हिस्से की डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 (अ,ब,) व मौजा भाटकी के खेत खसरा संख्या 1590 रकबा 0.79 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से की खातेदारी की डिक्री वादी के पक्ष में तथा 1/2 हिस्सा की डिक्री प्रतिवादी संख्या 1 (अ,ब) के नाम सादिर फरमावें चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 (स) पोपटलाल नाऔलाद फौत होने तथा उनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 (अ,ब) भाई है तथा विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2, 3 (अ,ब,स,द) ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी के बीच माफिक राजीनामा डिक्री सादिर की जाती है तो प्रतिवादी का कोई हित प्रभावित नहीं होता है।

हमने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के संबंध में पक्षकारान् के मध्य दिनांक 19.06.2024 को राजीनामा हो जाने से तथा प्रतिवादीगण द्वारा वाद का प्रतिकर नहीं करने से विधि के सिद्वान्तों अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः मौजा भड़वल के खेत खसरा संख्या 642 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खसरा संख्या 643 रकबा 0.58 हैक्टेयर, खेत खसरा संख्या 604 रकबा 2.08 हैक्टेयर, भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी 1 (अ) उकाराम व 1 (ब) कालाराम के नाम की खातेदारी घोषित की जाती है व इसी प्रकार मौजा बालेरा के खेत

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

खसरा संख्या 1055/545 रकबा 0.6010 हैक्टेयर व खसरा संख्या 482 रकबा 1.16 हैक्टेयर भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 (अ) उकाराम व 1 (ब) कालाराम के नाम घोषित की जाती है तथा इसी प्रकार मौजा भाटकी के खेत खसरा संख्या 1590 रकबा 0.79 हैक्टेयर भूमि में 1/2 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम तथा 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 (अ, ब) के नाम घोषित की जाती है तथा ग्राम भड़वल के खेत खसरा संख्या 642, 643, 604 व मौजा बालेरा के खेत खसरा संख्या 1055/545 व 482 में से प्रतिवादी संख्या 1`(स) पोपटराम वल्द रामजी के फौत हो जाने से खातेदारी में से पोपटराम का नाम हटाने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार सांचौर व तहसीलदार चितलवाना को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावें। फरीकेन खर्चा अपना अपना वहन करे, तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर
सहायक, कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 1/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक सांचौर (जालोर) जिला जालोर

सहायक, कलक्टर फास्ट–ट्रैक सांचौर, जिला–जालोर
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर